संख्या : 392483 / XXIV-B-1 / 2026 / 25(06) / 2009

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक : 04 ~~अप्रैल~~ मई, 2026

विषयः– प्रदेश के समस्त राजकीय एवं निजी माध्यमिक/प्रारम्भिक विद्यालयों हेतु समय–सारिणी का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 384939/XXIV-B–1/2026/25(06)/2009 दिनांक 06.04.2026 के माध्यम से प्रदेश के समस्त राजकीय एवं निजी माध्यमिक/प्रारम्भिक विद्यालयों हेतु समय–सारिणी का निर्धारण किया गया है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 06.04.2026 द्वारा निर्धारित की गई समय–सारिणी में आंशिक संशोधन करते हुए विद्यालयों की समय–सारिणी का निम्नवत निर्धारण किया जाता है :–

वादन	ग्रीष्मकालीन समय 01 अप्रैल से 30 सितम्बर	शीतकालीन समय 01 अक्टूबर से 31 मार्च
प्रार्थना सभा	प्रातः 07:15 से 07:30 (15 मिनट)	प्रातः 8:45 से 09:00 (15 मिनट)
वादन 1	प्रातः 07:30 से 08:10 (40 मिनट)	प्रातः 09:00 से 09:45 (45 मिनट)
वादन 2	प्रातः 08:10 से 08:50 (40 मिनट)	प्रातः 09:45 से 10:30 (45 मिनट)
वादन 3	प्रातः 08:50 से 9:30 (40 मिनट)	प्रातः 10:30 से 11:15 (45 मिनट)
वादन 4	प्रातः 09:30 से 10:10 (40 मिनट)	प्रातः 11:15 से 12:00 (45 मिनट)
मध्यान्तर	प्रातः 10:10 से 10:40 (30 मिनट)	प्रातः 12:00 से मध्यान्ह 12:30 (30 मिनट)
वादन 5	प्रातः 10:40 से 11:15 (35 मिनट)	मध्यान्ह 12:30 से अपरान्ह 01:10 (40 मिनट)
वादन 6	प्रातः 11:15 से 11:50 (35 मिनट)	अपरान्ह 01:10 से 01:50 (40 मिनट)
वादन 7	प्रातः 11:50 से मध्यान्ह 12:25 (35 मिनट)	अपरान्ह 01:50 से 02:30 (40 मिनट)
वादन 8	मध्यान्ह 12:25 से 01:00 (35 मिनट)	अपरान्ह 02:30 से 03:10 (40 मिनट)

3– उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार निर्धारित समय–सारिणी में युक्तियुक्त संशोधन अपेक्षित हो तो सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नवत् गठित समिति द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जाएगा :–

1	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि यथा उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य
3	सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारम्भिक)	सदस्य
4	सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5	सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका	सदस्य

4– उक्त समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय हेतु समय–सारिणी में संशोधन की संस्तुति प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी दशा में निर्धारित शिक्षण अवधि में कमी न किया जाए।

5– उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 06.04.2026 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा तथा शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 04-05-2026
12:15:05

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
5. समस्त, मुख्य शिक्षा अधिकारी, द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Ashutosh Shukla
Date: 04-05-2026
12:37:52

(आशुतोष शुक्ल)
उप सचिव